

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
क्रमांक / कैम्प / 2021 / २०३

दिनांक २१.१०.२०२१

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार लोत्तल के आधार पर जाम मगनपुरा
पन्ह. धाय डी अमी खान नं० ७५६ बका ०.६६ हे. के खातेदार
उत्तल पुत्र मूलचन के स्थान पर उत्तल उर्फ
उत्तल पुत्र मूलचन दर्ज करने के आदेश दिये जाते
हैं। इसी भी न्यायालय का स्थान न ही वी राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद करें। दोष जमावकी बदस्तुर रहें।

तहसीलदार दांतारामगढ़ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में
अमलदारामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी

दांतारामगढ़ मीणा

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर